बच्चों के लिए भविष्य में विषय चुनाव हेतु काउंसलिंग सत्र

नरवाना/नरेन्द्र जेठी : डीएवी. पब्लिक स्कूल नरवाना में कक्षा बारहवीं के बच्चों के लिए भविष्य में विषय चुनाव हेतु काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता चंडीगढ ग्रुप आफ कॉलेज से विनोद कुमार ने बच्चों को नए नए कोर्सों, तकनीकि एवम मॉडर्न शिक्षा, हार्ड वर्क व स्मार्ट वर्क में अंतर , भय दूर करने के लिए टिप्स एवम ट्रिक्स , आत्मविश्वास को विकसित करना आदि विषयों पर बच्चों को समझाते हुए बताया कि भीतर के डर को दूर करके ज्ञान के साथ साथ हम अपने कौशलों को भी मजबूत बना सकते हैं ।

किसान यूनियन ने गन्ने के रेट में मामूली वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

23 नवंबर को पिपली अनाज मंडी में होगी किसानों की महापंचायत

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

यमुनानगर/ मेहता: भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा गन्ने के रेट में वृद्धि को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जिला मुख्यालय पर जलाया गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि किसान लंबे समय से गन्ने के मूल्य 450 करने की मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष किसानों ने आंदोलन किया था और तकरीबन हरियाणा की सभी शुगर मिलों को बंद किया था। तब हरियाणा सरकार ने मात्र 10 रुपए रेट बढ़ाया था और मुख्यमंत्री ने अपनी मजबूरी गिनाते हुए कहा था कि अगली बार हम किसानों को अच्छे दाम देंगे, लेकिन अबकी बार फिर वही मात्र 14 बढ़ाकर किसानों के साथ मजाक किया गया है। आज हरियाणा के सीएम यमुनानगर जिले में आए तो किसानों ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री के यमुनानगर आगमन पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और गन्ने की होली जलाई। उन्होंने कहा कि आज लागत के आधार पर अगर गाने का मूल्य तय किया जाए तो कम से कम 600 प्रति क्विंटल बनता है। आज चीनी के दाम मार्केट में अच्छे हैं गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है जो पैट्रोल डीजल में काम आता है। आज गन्ने से जो खोई निकलती है उसके रेट गन्ने के रेट के बराबर हैं। उन्होने कहा कि गाने के दाम को 450 प्रति क्विंटल किया जाए नहीं तो 23 नवंबर को पिपली अनाज मंडी में एक किसानो की महापंचायत होगी जिसमें सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। मौके पर डायरैक्टर मनदीप रोड छप्पर, युवा अध्यक्ष संदीप टोपरा, महासचिव गुरवीर सिंह, राजकुमार सीपियावाल, उपाध्यक्ष गुरमेज कपूरी, बिराराम, किरणपाल, जिला परिषद मेंबर नरवल सिंह, कृपाल सिंह, कुरुक्षेत्र प्रभारी पप्पल, संदीप भगवानगढ़, सतेंद्र बेनीवाल मौजूद थे।

यमुनानगर में मुख्यमंत्री का पुतला जलाते किसान।

चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव करवाए

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

रादौर/जसवंत: दि नाहरपुर सीएस समिति की ओर से चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव करवाए गए जिसमें सभी निदेशको ने नरेंद्र सिंह चौहान को सर्वसम्मति से चेयरमैन व लियाकत अली को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। नवनियुक्त चेयरमैन नरेंद्र सिंह चौहान व वाइस चेयरमैन लियाकत अली को फुलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरमैन नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि समिति की ओर से उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, वह उसका पूरी निष्ठा व लग्न से पालन करेंगे। उनकी प्राथमिकता लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना होगी। उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए सभी निदेशको का हार्दिक आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर मोटनलाल, लियाकत अली, रामशरण, रामनाथ, कोशल देवी, नरेंद्र राणा सरपंच तिगरा, गीता देवी, रामेश्वर नंबरदार, शक्ति राणा आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

सनातन धर्म महिला महाविद्यालय में दीवाली मेले की धूम

नरवाना/नरेन्द्र जेठी: सनातन धर्म महिला महाविद्यालय नरवाना में दिवाली के उपलक्ष्य में श्री कला कृति समूह के दिवाली मेले में काफी रोनक देखने का मिली। मेले में मुख्यातिथि के तौर पर नरवाना के डीएसपी अमित भाटिया पहुंचे जबकि अध्यक्षता डा. मोनिका खोखर ने की। डीएसपी अमित भाटिया व अध्यक्षता डा. मोनिका खोखर ने मेले में अवलोकन कर आयोजकों की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के मेले आयोजित करने से एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिलती है । उन्होने कहा कि मेल में जिस प्रकार से मेहनत करके अपने हाथों से बनाई विभिन्न प्रकार की स्टॉल छात्राओं ने लगाई इसमे वॉल पुट्टी पॉट, ज्वैलरी, बैग, लड्डू गोपाल की ड्रेस, फोटो फ्रेम, वॉल हैंगिंग और विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे गोल गप्पे, नारियल के लड्डू, दही भल्ले, मीठी लस्सी इत्यादि वह वास्तव में अद्वितीय है। श्री कला कृति समूह की चेयरपर्सन सोनिया गोयल के अलावा सदस्यों की टीम पूजा बंसल, रेखा गर्ग, गीता, मधु, सिम्मी सिंगला, सुनीता गोयल आदि ने कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया। इस मेले में अग्रोहा महिला ग्रुप और अग्रवाल महिला विंग भी अपनी अपनी टीम के साथ अनुराधा मित्तल व नीलम बंसल मौजूद रहे।

केएम राजकीय महाविद्यालय सेवा शिविर

नरवाना/नरेन्द्र जेठी: केएम राजकीय महाविद्यालय नरवाना में राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट 2 के द्वारा प्रोफेसर मुकेश कुमारी के निर्देशन में एक दिवसीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य डॉ मीनू सिंह ने विद्यार्थियों को सेवा योजना के महत्व को दर्शाते हुए कहा कि यह ऐसा कार्य है जिससे सार्वजनिक हित के कार्य करने में मनुष्य का संकोच नष्ट होता है तथा आत्मविश्वास पैदा होता है इसलिए इस प्रकार के शिविरों में बढ चढ कर भाग लेना चाहिए। एनएसएस यूनिट द्वारा पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर घूम कर कूड़ा, कचरा, पॉलिथीन, रैपर आदि को इकट्ठा किया तथा एक गड्ढे में डालकर उसको नष्ट किया। कार्यक्रम अधिकारी मुकेश कुमारी ने कहा जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर हम घरों में सफाई आदि करते हैं तो उसी प्रकार हमें कॉलेज को भी शिक्षा का मंदिर होने के नाते इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस कार्य में स्वीपर सुनील कुमार ने भी बहुत सहयोग किया।

मनुष्य सामाजिक प्राणी और मानवता उसका आभूषण : डा. रघुबीर

धर्म के नाम पर नहीं होने चाहिए झगड़े

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

रादौर/ जसवंत: मानव तब तक मानव नहीं जब तक उसमे मानवता न आ जाए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानवता उसका आभूषण है। मानव सेवा ही प्रभु की सच्ची सेवा है। ये शब्द बीके डा. रघुबीर सिंह ने एक भेटवार्ता में कहें। उन्होंने कहा कि जब सभी पंथ, समुदाय, गुरू, ग्रंथ, आचार्य ममता, प्रेम, भाईचारे का संदेश देते है, तो धर्म के नाम पर झगड़ा कैसा। समाज में फैले भ्रष्टाचार को हम केवल भाईचारे से ही खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये समाज के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना होगा। तभी समाज में फैला भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता हैं। उन्होंने कहा कि आज भौतिकवाद की चकाचौंध में हम अपने पुराने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति ने हमें अपने बडों व गुरुजनों का आदर करना सिखाया था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने प्राचीन संस्कारों को भूल चुकी हैं। जिस कारण आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगती जा रही हैं। जिस कारण हमारी प्राचीन संस्कृति को भारी ठेस पहुंची हैं। आज अपराध व भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता जा रहा है।

फूड कार्निवल रहा मुख्य आकर्षण का केन्द्र

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

रादौर /जसवंत: शहर के जेएमआईईटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज में बुधवार को दीवाली उत्सव धूमधाम से मनाया गया जिसमें छात्र, शिक्षक व स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। कॉलेज में सजावट, पारंपरिक दीयों और रंगीन रंगोली से की गई। उत्सव का मुख्य आकर्षण पीडी डिपार्टमैंट द्वारा आयोजित फूड कार्निवल रहा। इस दौरान फूड कार्निवल ने भारतीय व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई। फूड कार्निवल ने एक आनंददायक पाक यात्रा की पेशकश की। विभिन्न क्षेत्रों के छात्र अपने पाक कौशल का प्रदर्शन करने और दिवाली के स्वाद को साझा करने के लिए एक साथ आए। फ़ूड कार्निवल के अलावा, दिवाली उत्सव में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रदर्शन शामिल थे।

जिला युवा महोत्सव के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढाई

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

नरवाना / नरेन्द्र जेठी: जिलास्तरीय युवा महोत्सव के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढा दी गई है। हरियाणा कोशल एवं औद्योगिक परिक्षण विभाग ने महोत्सव में आवेदन की तिथि 7 से बढ़ाकर 11 नवंबर कर दी है। पूर्व निर्देशों के अनुसार केवल सोमवार तक इसके लिए आवेदन होने थे परंतु विभाग को अपेक्षाकृत बहुत ही कम आवेदन प्राप्त हुए जिसके बाद इसमें आवेदन करने की तिथि बढा दी गई है। वही निदेशालय ने सभी आईटीआई प्राचार्यों को इसका प्रचार प्रसार करने के आदेश दिये है। इसे लेकर बुधवार को आईटीआई नरवाना के प्रधानाचार्य व जिला युवा समन्यवक अधिकारी श्री अनिल कुमार गोयल अपनी टीम के साथ युवा महोत्सव पर कार्य को तेजी प्रदान कर रहे है जिसमें प्रचार व प्रसार हेतु सुरेश पुनिया (खण्ड युवा समन्यवक अधिकारी) एवं जसबीर सिहं मोर (अप्रेटिस अनुदेशक) इस युवा महोत्सव को सफलता पूर्वक आयोजित करने हेतु प्रचार व प्रसार में लगे हुए है। इसी कार्य हेतु बुधवार को आईटीआई में निजी स्कूल संचालकों, प्राचार्यों व जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सरकार व हरियाणा कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से करवाए जा रहे युवा महोत्सव के बारे में बताया गया

मांगों को लेकर 9 को धरना देंगे रोडवेज कर्मचारी : रामनिवास

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

नरवाना/नरेन्द्र जेठी: रोडवेज कर्मियों की ओर से 9 नवंबर को प्रस्तावित काली पट्टी बांधकर धरना-प्रदर्शन को लेकर हरियाणा रोडवेज सांझा मोर्चा उपकेंद्र नरवाना की बैठक हुई । रोडवेज कर्मशाला प्रांगण में आयोजित बैठक में सांझा मोर्चा के वरिष्ठ नेता सतबीर धरोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान धरने का सफल बनाने के लिए रणनीति उपकेंद्र नरवाना सांझा मोर्चा के नेता रामनिवास खरक भूरा , रामकेश उदयपुर, रमेश बनभोरी, दीपक जाजनवाला, परिचालक नरेश, रघुवीर कर्मगढ़ ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी प्रत्येक डिपो पर एक दिन का सांकेतिक धरना देते हुए हरियाणा सरकार को निद्रा से जगाने का प्रयास करेंगे। रोडवेज कर्मचारियों की जायज मांग पूरी न होने से कर्मचारियों में व्यापक रोष है। सरकार यूनियन से बात कर तुरंत प्रभाव से मानी गई मांगों को लागू करें। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का करनाल में घेराव आंदोलन की घोषणा की जाएगी। परिवहन मंत्री के साथ सांझा मोर्चा के नेताओं की सीमती मांगों का परिपत्र जारी किया जाए । कर्मचारियों की मांगें पुरानी पेंशन बहाल करना, कर्मचारियों के अवकाश में की गई कटौती के आदेश वापिस कर पहले की तर्ज पर लागू किए जाए,265 प्राइवेट रूट परमिट रद्द कर रोडवेज के बेडे में 14000 नई बसें शामिल की जाएं।

अनुराग ढांडा ने प्रदूषण और पराली प्रबंधन को लेकर खट्टर सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री खट्टर बताएं, पिछले वर्ष ग्रीन जोन के गांव यैलो जोन के कैसे आए

बोले, ऐसे गांव जो पिछले वर्ष ग्रीन जोन में थे, उनमें पराली जलाने के केस मिले

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

चंडीगढ़ /धरणी: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रैस वार्ता की। उनके साथ पंचकूला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल और प्रदेश संयुक्त सचिव पुरुषोत्तम सरपंच भी मौजूद रहे। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदूषण की समस्या पर आंख मूंदे हुए है। हरियाणा के अंदर सरकार की नाकामी सरेआम नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक गांव और खेत में पराली के प्रबंधन से स्पष्ट हो रहा कि हरियाणा सरकार पूर्णत फेल साबित हुई है। वहीं किसान पराली प्रबंधन के मामले में दोषी नहीं, बल्कि पीड़ित है, वहीं सरकार ने 600 किसानों पर लाखों रुपए जुर्माना लगाने का काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर से सवाल पूछते हुए कहा कि वह बताएं कि पिछले वर्ष ग्रीन जोन के गांव इस बार यैलो जोन में कैसे आए? उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे गांव जो पिछले वर्ष ग्रीन जोन में थे, उनमें पराली जलाने के केस मिले हैं। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि कैथल जिले के गांव चौशाला, सांच, दुसेरपुर और खेड़ी शेरू समेत 11 ऐसे गांव हैं जो पिछले वर्ष ग्रीन जोन में थे, वहीं इस वर्ष इनमें किसानों ने पराली जलाई है। वहीं उन्होंने सिरसा का उदहारण देते हुए कहा कि यहां के गांव मलारी, दादू, दादरी, देशू मलकाना समेत कुल मिलाकर 15 ऐसे गांव थे जो ग्रीन जोन में थे।

वहीं उन्होंने जिला फतेहाबाद के गांव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के गांव हमजापुर, तेलीवाडा, बिसला और खजूरी समेत 13 गांव ऐसे हैं, जो ग्रीन जोन में थे, लेकिन इस बार पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। कुल मिलाकर लगभग हर जिले में पराली जलाने की सैंकड़ों घटनाएं दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार की अनदेखी की वजह से किसान पराली जलाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों को न तो कोई मशीनरी और न ही कोई संसाधन मुहैया करवाया गया। इस वजह से ग्रीन जोन के किसान भी पराली जलाने को मजबूर हैं। पिछले वर्ष सोसाइटी बनाकर 80 फीसदी एससी किसानों को पराली निस्तारण यंत्र की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस बार किसानों ने सोसाइटी बनाकर सब्सिडी के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन कोई भी सब्सिडी नहीं दी गई। इससे भी बड़ी बात इस बार कृषि बजट में सब्सिडी देने का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया था। उन्होंने खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 फीसदी सब्सिडी वितरण में उच्चाधिकारियों ने मिलकर महाघोटाला किया। साथ की खट्टर सरकार के 5 लाख एकड़ कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के प्रयोग के दावे भी झूठे निकले।

फार्म नं. 3
देखें (विनियमन-15 (1) (ए)/ 16(3)
कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल चंडीगढ़
(डीआरटी 2)
प्रथम मंजिल एससीओ 33-34-35 सैक्टर-17ए, चंडीगढ़ (तृतीय और चतुर्थ मंजिल पर भी अतिरिक्त आवंटित स्थान)
केस नं. ओए/1756/2022
[कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन्ज्ञ]
Exh. No.: 20782

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बनाम
खुशी राम एवं अन्य

सेवा में,
(1) खुशी राम एवं अन्य
D/W/S/O श्री जगदीश चंदर गांव कौल तहसील कैथल, कैथल, हरियाणा

सम्मन्ज्ञ

जैसे कि, ओए/1756/2022 माननीय प्रीजाइडिंग ऑफिसर/**06.10.2023** पर पंजीकरण सूचीबद्ध था।

जैसे कि, यह माननीय ट्रिब्यूनल से अधिनियम की धारा 19(4) (ओ ए) के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र पर सम्मन्ज्ञ द्वारा जारी किया गया, **रु. 2283610/-** के कर वसूली के लिए आप द्वारा भरना होगा (दस्तावेजों वगैरहा के परिष्ठि की कापियों के साथ-साथ प्रार्थना पत्र)

आप अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के साथ तदनानुसार जैसा कि निम्न प्रतिभागी निर्देशित किए गए हैं:-

(i) सम्मन्ज्ञ की सर्विस के 30 दिनों के भीतर-भीतर कारण बताओ, कि क्यों आपको छुटकारा दिया जाना चाहिए।

(ii) असल प्रार्थना प्रपत्र के क्र. 3ए के अन्तर्गत आवेदक द्वारा सम्पत्तियों और सम्पत्ति विशेष अन्य सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के विवरणों को डिसक्लोज कर दिया गया।

(iii) सम्पत्तियों की सलंग्ता के लिए प्रार्थना पत्र की पेंडिंग, हेयरिंग और डिस्पोजल, असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत बंद सम्पत्तियों और अन्य ऐसी सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की डिस्पोजिंग या डीलिंग से आप प्रतिरोधित हैं।

(iv) आप ट्रिब्यूनल की प्रारंभिक स्वीकृति के बिना असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत विशेष या बंद की गई सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों और/या जो सुरक्षाहित बनाई गई है से ऊपर की किसी सम्पत्ति या उसके बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में अतिरिक्त बिक्री या पट्टे के रास्ते द्वारा परिवर्तित नहीं करेंगे।

(v) ऐसी सम्पत्तियों पर सुरक्षाहित वित्तीय संस्थानों की होल्डिंग या बैंक से मैनेटेंड खाते में ऐसी बिक्री प्रोसीडज जमा और बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बिक्री प्रोसीडज जारी करने के लिए आप खाते के ही उत्तरदायी होंगे।

आपको लिखित में सीधे फाइल में स्टेटमेंट के साथ उसकी एक कापी आवेदक को तिथि **07.03.2024 को प्रात: 10.30 बजे** या इससे पहले **रजिस्ट्रार** को देनी होगी, वरना आपकी अनुपस्थिति में निर्णय और सुनवाई प्रार्थना पत्र पर कर दी जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मोहर के साथ यह तिथि 09.10.2023 को जारी किया।

सम्मन्ज्ञ जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

फार्म नं. 3
देखें (विनियमन-15 (1) (ए)/ 16(3)
कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल चंडीगढ़
(डीआरटी 2)
प्रथम मंजिल एससीओ 33-34-35 सैक्टर-17ए, चंडीगढ़ (तृतीय और चतुर्थ मंजिल पर भी अतिरिक्त आवंटित स्थान)
केस नं. ओए/1101/2022
[कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन्ज्ञ]
Exh. No.: 19667

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
बनाम
कुलदीप सिंह

सेवा में,
(1) कुलदीप सिंह
D/W/S/O ईश्वर सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह गांव कैरांवाली, तहसील एवं जिला सिरसा, हरियाणा पिन-125110, सिरसा हरियाणा
(2) प्रताप सिंह पुत्र हरजस सिंह, गांव कैरांवाली, तहसील एवं जिला सिरसा सिरसा, हरियाणा
(3) महावीर सिंह
पुत्र प्रताप सिंह, गांव कैरांवाली, तहसील सिरसा सिरसा हरियाणा

सम्मन्ज्ञ

जैसे कि, ओए/1101/2022 माननीय प्रीजाइडिंग ऑफिसर/**28.07.2023** पर पंजीकरण सूचीबद्ध था।

जैसे कि, यह माननीय ट्रिब्यूनल से अधिनियम की धारा 19(4) (ओ ए) के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र पर सम्मन्ज्ञ द्वारा जारी किया गया, **रु. 2069992.77/-** के कर वसूली के लिए आप द्वारा भरना होगा (दस्तावेजों वगैरहा के परिष्ठि की कापियों के साथ-साथ प्रार्थना पत्र)

आप अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (4) के साथ तदनानुसार जैसा कि निम्न प्रतिभागी निर्देशित किए गए हैं:-

(i) सम्मन्ज्ञ की सर्विस के 30 दिनों के भीतर-भीतर कारण बताओ, कि क्यों आपको छुटकारा दिया जाना चाहिए।

(ii) असल प्रार्थना प्रपत्र के क्र. 3ए के अन्तर्गत आवेदक द्वारा सम्पत्तियों और सम्पत्ति विशेष अन्य सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के विवरणों को डिसक्लोज कर दिया गया।

(iii) सम्पत्तियों की सलंग्ता के लिए प्रार्थना पत्र की पेंडिंग, हेयरिंग और डिस्पोजल, असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत बंद सम्पत्तियों और अन्य ऐसी सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की डिस्पोजिंग या डीलिंग से आप प्रतिरोधित हैं।

(iv) आप ट्रिब्यूनल की प्रारंभिक स्वीकृति के बिना असल प्रार्थना पत्र के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत विशेष या बंद की गई सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों और/या जो सुरक्षाहित बनाई गई है से ऊपर की किसी सम्पत्ति या उसके बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में अतिरिक्त बिक्री या पट्टे के रास्ते द्वारा परिवर्तित नहीं करेंगे।

(v) ऐसी सम्पत्तियों पर सुरक्षाहित वित्तीय संस्थानों की होल्डिंग या बैंक से मैनेटेंड खाते में ऐसी बिक्री प्रोसीडज जमा और बिजनेस के ऑर्डीनरी कोर्स में सम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों या सुरक्षित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बिक्री प्रोसीडज जारी करने के लिए आप खाते के ही उत्तरदायी होंगे।

आपको लिखित में सीधे फाइल में स्टेटमेंट के साथ उसकी एक कापी आवेदक को तिथि **25.11.2023 को प्रात: 10.30 बजे** या इससे पहले **रजिस्ट्रार** को देनी होगी, वरना आपकी अनुपस्थिति में निर्णय और सुनवाई प्रार्थना पत्र पर कर दी जाएगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्यूनल की मोहर के साथ यह तिथि 09.08.2023 को जारी किया।

सम्मन्ज्ञ जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, इंडिया
शाखा कार्यालय: एससीओ 154, प्रथम मंजिल, रेड स्क्वायर मार्केट, यूई-1, नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज, हिसार-125001
शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, नं. 159/20, सुधा कॉम्पलैक्स, एटल्स रोड, नजदीक सुभाष चौक, सोनीपत-131001
शाखा कार्यालय: प्लॉट नं. 45-46, प्रथम मंजिल, सत करतार कॉम्पलैक्स, 45, वजीर चंद कालोनी, सामने मुगल कनाल फाउंटेन चौक, करनाल-132001
शाखा कार्यालय: एससीओ नं. 121, सैक्टर 17, प्रथम मंजिल, कमर्शियल बेल्ट, जगाधरी रोड, यमुनानगर-135003

(नियम 8 (6) का परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतू सूचना

सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (6) की शर्तों के साथ सुरक्षाहित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूतिकरण और वित्तीय सम्पत्तियों के विनिर्माण के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री की सूचना।

एतद् द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतू और ऋणदाता(ों) और ग्रांटर(ों) के विवरणों में सूचित किया जाता है कि निम्न निर्धारित अचल सम्पत्ति बंधक/चार्जड सिक्योरड क्रैडिटर, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा **प्रतीकात्मक कब्जा 'जैसे है जहां है', 'जैसे है क्या है'** और **'जो भी है वहां है'** के आधार पर निम्न के अनतर्गत दिए संक्षिप्त विवरणों अनुसार बिक्री की जाएगी।

क्र. सं.	ऋणदाता (ों)/सह ऋणदाताओं/ ग्रांटरों/कानूनी वारिसों के नाम ऋण खाता नं.	सुरक्षित सम्पत्ति(ों) के साथ ऋणभार का विवरण यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित कीमत / जमा धरोहर राशि	जांची गई सम्पत्ति की तिथि एवं समय	निलामी की तिथि एवं समय
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
1.	सोनू (ऋणदाता) शंकर (सह-ऋणदाता) मोहानी (सह-ऋणदाता) राजेन्द्र कुमार (सह-ऋणदाता) Loan Account No. LHHIS00001296209 & NHHIS00001262182	प्लाट नं. 49 एवं 48 वाका पौठ डी एन कॉलेज प्लेय ग्राऊंड नज़दीक ब्राह्म विश्वविद्यालय हिसार-125001	रु. 29,89,469/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 29,35,080/- / रु. 2,93,510/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
2.	गुरुविन्दर सिंह (ऋणदाता) जतिन्दर कौर (सह-ऋणदाता) Loan Account No. LHYGR00001313175	खसरा नंबर पर प्लॉट 99/33/1, वाका मौजा जगाधरी, मोसुमा मनोहर नगर तहसील जगाधरी यमुनानगर हरियाणा-135001	रु. 13,17500/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 16,03,800/- / रु. 1,60,380/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
3.	राजबीर शर्मा (ऋणदाता) रीना देवी (सह-ऋणदाता) Loan Account No. NHASS00000827809	खेवट नं. 2339, वाका रकबा असंध, नज़दीक ओम शांति आश्रम करनाल, रोड असंध, हरियाणा, असंध	रु. 15,29,098/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 28,33,830/- / रु. 2,83,390/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
4.	जसविन्दर सिंह (ऋणदाता) अंग्रेज सिंह (सह-ऋणदाता) Loan Account No. NHASS00001267074	खेवट नं. 1295, रकबा तदाड़ी, रकबा ग्राम असंध जिला करनाल, हरियाणा-132001	रु. 34,40,417/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 37,73,700/- / रु. 3,77,370/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
5.	सुमन (ऋणदाता) सुनील कुमार सैनी (सह-ऋणदाता) राम कुमार (सह-ऋणदाता) Loan Account No. LHPNP00001337708 & LHPNP00001337718	खेवट नंबर 36/36, खतौनी नंबर 36 खसरा नं. 203/2(2-14) में प्लॉट पर आवासीय घर, ग्राम गढ़ी उजाले खान तहसील गोहाना जिला सोनीपत, सोनीपत-131001 की राजस्व संपत्ति में स्थित है।	रु. 23,85,758/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 39,68,175/- / रु. 3,96,820/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
6.	नरेंद्र कुमार शर्मा (ऋणदाता) प्रियंका (सह-ऋणदाता) Loan Account No. NHBWA00000835352	शॉप नं. 13 एमसी आटो मार्किट दादरी गेट लोहारु रोड भिवानी-127021 में स्थित।	रु. 24,76,330/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 50,07,600/- / रु. 5,00,760/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
7.	राज कुमार (ऋणदाता) शीला रानी (सह-ऋणदाता) Loan Account No. NHSAF00000905924	खता नं. 1653 मुरब्बा नं. 70 मॉडर्न स्कूल वाली कालोनी किला नं. 17/1/2 (4-8) खेवट नं. 1408 फफीदों-126112	रु. 28,02,195/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 18,73,163/- / रु. 1,87,320/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
8.	दीपक कुमार (ऋणदाता) राज रानी (सह-ऋणदाता) मोनिका रानी (सह-ऋणदाता) Loan Account No. NHHIS00000948903 & NHHIS00000948904	प्लाट नं. 51 प्रोपर्टी Id 53C152U281 संत नगर, ठंडी सड़क के पास, आहूजा सिनेमा के पीछे, हिसार-125001 पर स्थित है।	रु. 28,02,296/- 31 अक्टूबर 2023	रु. 65,28,600/- / रु. 6,52,860/-	04 दिसम्बर 2023 को प्रात: 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2023 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक
9.	सुरेश कुमार (ऋणदाता) मोनिका (सह-ऋणदाता) Loan Account No. NHHIS00001245437	प्लॉट नंबर 93 वसीका नंबर 3533 इंतकाल नंबर 9618 खसरा नंबर 137/116(0-4) मेला ग्राउंड एरिया शिव नगर पर मकान हिसार हरियाणा-125001	रु. 6,